



भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in

निविदा आमंत्रण सूचना

भारतीय रिज़र्व बैंक और कोच्ची स्थित उसकी विभिन्न आवासीय कॉलोनियों में स्थापित विभिन्न इन्वेंट्री वस्तुओं के लिए आरएफआईडी आधारित फिक्स्ड एसेट मैनेजमेंट सॉल्यूशन के लिए वार्षिक रखरखाव अनुबंध (एएमसी)

भारतीय रिज़र्व बैंक, कोच्ची और बैंक के आवासीय कॉलोनियों (आरसी) में स्थापित विभिन्न इन्वेंट्री वस्तुओं के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (आरएफआईडी) आधारित फिक्स्ड एसेट मैनेजमेंट सॉल्यूशन (एफएमएस) के वार्षिक रखरखाव अनुबंध के लिए पात्र बोलीदाताओं से ऑफलाइन के माध्यम से दो-भाग निविदा (भाग-I और भाग-II) आमंत्रित करता है। ई-निविदा की सूची इस प्रकार है:

| | | |
|-----|---|--|
| 1 | कार्य का नाम | भारतीय रिज़र्व बैंक, कोच्ची और कोच्ची स्थित उसकी विभिन्न आवासीय कॉलोनियों में स्थापित विभिन्न इन्वेंट्री वस्तुओं के लिए आरएफआईडी आधारित फिक्स्ड एसेट मैनेजमेंट सॉल्यूशन के लिए वार्षिक रखरखाव अनुबंध (एएमसी) |
| 1.1 | न्यूनतम पात्रता मानदंड | |
| ए | विक्रेता को 30 सितंबर 2025 तक कम से कम पिछले 3 वर्षों से आरएफआईडी आधारित परिसंपत्ति प्रबंधन प्रणाली/ समाधान प्रदान करने के व्यवसाय में होना चाहिए और इसी प्रकार की परियोजनाओं का निष्पादन किया होना चाहिए। [संबंधित संगठन/एजेंसी द्वारा जारी निष्पादित कार्य का पूर्णता प्रमाण पत्र (अनुमानित लागत के बराबर) प्रस्तुत किया जाना चाहिए।] | |
| बी. | विक्रेता के पास 31 मार्च 2025 को समाप्त होने वाले पिछले 3 वित्तीय वर्षों के दौरान अनुमानित लागत के 100% के बराबर या उससे अधिक राशि का वार्षिक कारोबार होना चाहिए। [पिछले 3 वित्तीय वर्षों (2022-23, 2023-24, 2024-25) के कारोबार के लिए सीए से प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।] | |
| सी | आरएफआईडी आधारित परिसंपत्ति प्रबंधन प्रणाली/ समाधान प्रदान करने के व्यवसाय में संलग्नता की पुष्टि हेतु विक्रेता को उपयुक्त प्राधिकारियों के अधीन पंजीकृत होना चाहिए। [आवश्यक पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति प्रस्तुत की जानी चाहिए।] | |
| डी | कार्य करने के लिए विक्रेता के पास अपने स्वयं के आरएफआईडी स्कैनर, टैग प्रिंटर आदि होने चाहिए। (बोलीदाता के लेटरहेड पर संलग्नक 'ए' में निर्दिष्ट मेक, मॉडल संख्या आदि से संबंधित आवश्यक विवरण के साथ वचनबद्धता प्रस्तुत की जानी चाहिए।) | |
| 1.2 | निविदा की अनुसूची इस प्रकार है: | |
| ए | कार्य की अनुमानित लागत | ₹1.40 लाख (केवल एक लाख चालीस हजार रुपये) जीएसटी सहित (विभिन्न प्रकार के आरएफआईडी टैग की लागत और सेवा शुल्क सहित) |
| बी | निविदा का तरीका | ऑफ़लाइन मोड (भौतिक निविदा) |
| सी. | तिथि जिससे विवरण आरबीआई वेबसाइट पर देखा जा सकेगा। | 28 अक्टूबर 2025 से |

| | | |
|----|--|--|
| | | <p>निविदा दस्तावेज़ आरबीआई वेबसाइट https://www.rbi.org.in से 'निविदा' शीर्षक के अंतर्गत डाउनलोड किया जा सकता है।</p> <p>या</p> <p>इसे सीधे संपदा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, बनर्जी रोड, एरणाकुलम नॉर्थ, कोच्ची - 682 018 से प्राप्त किया जा सकता है।</p> <p>सभी शुद्धिपत्र/परिशिष्ट और आगे की सूचना, यदि कोई हो, केवल आरबीआई की वेबसाइट पर ही अपलोड की जाएगी।</p> |
| डी | ईएमडी | <p>₹2,800/- (मात्र दो हजार आठ सौ रुपये)।</p> <p>ब्याज राशि भारतीय रिज़र्व बैंक, कोच्ची के पक्ष में एनईएफटी के माध्यम से जमा की जाएगी।</p> <p>एनईएफटी का प्रमाण बोली जमा करने की अंतिम तिथि के 14:00 बजे या उससे पहले बैंक में जमा करना होगा।</p> <p>एनईएफटी लेनदेन का खाता विवरण इस प्रकार है:</p> <p>लाभार्थी का नाम: आरबीआई, कोच्ची</p> <p>लाभार्थी खाता संख्या: 186003001</p> <p>आईएफएससी: RBIS0KCPA01(पाँचवाँ और दसवाँ अक्षर शून्य हैं)</p> <p>नोट: उद्यम पंजीकरण संख्या (उद्योग आधार ज्ञापन संख्या) वाले सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) को अग्रिम राशि (ईएमडी) के भुगतान से छूट दी गई है। हालाँकि, उद्यम पंजीकरण प्रमाणपत्र की एक प्रति निविदा के भाग I के साथ जमा करनी होगी।</p> <p>कृपया ध्यान दें कि अग्रिम राशि ब्याज मुक्त होगी और कार्य आदेश मिलने के बाद असफल बोलीदाताओं को वापस कर दी जाएगी। हालाँकि, अग्रिम राशि (ईएमडी) L1 बोलीदाता/सफल बोलीदाता को सुरक्षा जमा जमा करने के बाद ही वापस की जाएगी।</p> |
| ई | बोली-पूर्व बैठक की तिथि और समय | <p>18 नवंबर, 2025 को सुबह 11:00 बजे</p> <p>स्थान: संपदा विभाग</p> |
| एफ | बोली-पूर्व बैठक के परिणाम को परिशिष्ट, शुद्धिपत्र आदि के रूप में आरबीआई वेबसाइट पर अपलोड करने की तिथि और समय | <p>19 नवंबर 2025 को 15:00 बजे</p> |
| जी | ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि और समय | <p>24 नवंबर 2025 को 14:00 बजे</p> |
| एच | तकनीकी वाणिज्यिक बोली (भाग I) और मूल्य बोली (भाग II) जमा करने की अंतिम तिथि | <p>27 नवंबर, 2025 को 14:00 बजे तक।</p> <p>तकनीकी वाणिज्यिक बोली (भाग I), जमा की गई अग्रिम राशि के प्रमाण और मूल्य बोली (भाग II) को दो अलग-</p> |

| | | |
|-----|---|--|
| | | अलग सीलबंद लिफाफों में रखा जाएगा और दोनों लिफाफों को एक ही लिफाफे में रखा जाएगा। लिफाफे पर कार्य का नाम और निविदाकर्ता का नाम लिखा होगा। हस्ताक्षरित निविदा दस्तावेज़ कार्यालय भवन की पहली मंजिल पर स्थित 'कोटेशन बॉक्स' में डालकर या 'डाक' के माध्यम से भेजे जा सकते हैं। डाक द्वारा निर्धारित समय और तिथि तक बैंक तक पहुँच जाना चाहिए। |
| आइ | भाग-1 खोलने की तिथि एवं समय (तकनीकी-वाणिज्यिक बोली) | 27 नवंबर, 2025 को 15:00 बजे |
| जे | भाग-॥ मूल्य बोलियों के खुलने की तिथि एवं समय, | योग्य बोलीदाताओं की निविदा का भाग ॥ (मूल्य-बोली) बाद की तिथि पर खोला जाएगा, जिसकी सूचना योग्य बोलीदाताओं को दी जाएगी। |
| के | सुरक्षा जमा | सफल निविदाकर्ता द्वारा अनुबंध मूल्य का 5% |
| एल | परिनिर्धारित नुकसानी | देरी के लिए प्रति सप्ताह 0.25%, अनुबंध राशि के अधिकतम 10% के अधीन। |
| एम | भुगतान की शर्तें | खंड 3.4 में निर्धारित कार्य पूरा होने पर 100% भुगतान। आरएफआईडी टैग की आपूर्ति के लिए, बोलीदाता द्वारा उद्धृत दर पर उपयोग किए गए आरएफआईडी टैग की वास्तविक संख्या के आधार पर भुगतान किया जाएगा। |
| एन | कोटेशन की वैधता | तकनीकी बोली खुलने की तिथि से 90 दिन। आवश्यकता पड़ने पर इस अवधि को पारस्परिक रूप से आगे बढ़ाया जा सकता है। |
| ओ | सभी उत्पन्न होने वाले विवाद क्षेत्राधिकार के अधीन होंगे। | कोच्ची, केरल |
| पी | पूर्ण बोलियाँ भेजने का पता | महाप्रबंधक (कार्यकारी निदेशक), संपदा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, बनर्जी रोड, एरणाकुलम नॉर्थ, कोच्ची - 682 018 |
| कु | इस निविदा के संबंध में संपर्क व्यक्ति | नाम एवं पदनाम: (क) सुश्री क्षिप्रा रामचंद्र कसार, प्रबंधक मोबाइल: 7093939382 (ख) सुश्री विनीता वी, सहायक प्रबंधक मोबाइल: 9747207776 ईमेल आईडी: estatekochi@rbi.org.in |
| आर | अनुबंध अवधि | एक वर्ष अर्थात् दिसंबर 2026 तक, जिसे ठेकेदार के प्रदर्शन के आधार पर अगले दो वर्षों तक नवीनीकृत किया जा सकता है। |
| 1.3 | महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी), भारतीय रिज़र्व बैंक, कोच्ची बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं और किसी भी नियम व शर्तों में ढील देने का भी अधिकार सुरक्षित रखते हैं। किसी भी बोलीदाता के पास अपनी बोली अस्वीकार होने पर रिज़र्व बैंक के विरुद्ध कोई कार्रवाई या दावा करने का अधिकार नहीं होगा। | |

| | |
|-----|---|
| 1.4 | इस निविदा के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत सभी जानकारी भारतीय रिज़र्व बैंक की संपत्ति होगी और वह अपनी इच्छानुसार इसका उपयोग करने के लिए स्वतंत्र होगा। |
|-----|---|

महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी),
भारतीय रिज़र्व बैंक, कोच्ची
संपदा विभाग



भारतीय रिज़र्व बैंक / Reserve Bank of India
संपदा विभाग / Estate Department
कोच्ची / KOCHI

के लिए निविदा

कोच्ची स्थित भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यालय और उसके आवासीय परिसर में स्थापित विभिन्न इन्वेंट्री मदों के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (आरएफआईडी) आधारित स्थिर परिसंपत्ति प्रबंधन समाधान (एफएएमएस) हेतु वार्षिक रखरखाव अनुबंध

भाग 1 – तकनीकी वाणिज्यिक बोली

बोलीदाता का नाम:

पता:

टेलीफ़ोन नंबर:।

ईमेल आईडी:।

| | |
|------------------------------|--|
| निविदा जमा करने की नियत तिथि | 27 नवंबर, 2025 को 14:00 बजे या उससे पहले |
| बोली-पूर्व बैठक | 18 नवंबर 2025 को सुबह 11:00 बजे |
| बोली-पूर्व बैठक स्थल | आरबीआई, कोच्ची |

अनुक्रमणिका

| अनुभाग | विवरण | पृष्ठ संख्या |
|----------------------------|--|----------------|
| भाग I (तकनीकी बोली) | | |
| खंड I | निविदा आमंत्रण सूचना | 4 - 7 |
| खंड II | बोलीदाताओं के लिए निर्देश | 8 - 12 |
| खंड III | अनुबंध की विशेष शर्तें | 13 - 16 |
| खंड IV | बोलीदाताओं का विवरण | 17 - 18 |
| खंड V | काम की गुंजाइश | 19 |
| खंड VI | समझौते के लेखों का प्रारूप | 20 - 24 |
| अनुलग्नक ए | अपेक्षित हार्डवेयर के स्वामित्व के संबंध में वचनबद्धता | 25 |
| अनुलग्नक बी | आरएफआईडी टैग के लिए एन्कोडिंग प्रथाओं की पुष्टि | 26 |
| अनुलग्नक सी | अचल संपत्तियों का प्रकार | 27 - 28 |
| अनुलग्नक डी | जिम्मेदारियाँ और वितरण योग्य वस्तुएँ कार्यक्षेत्र में सेवाएँ | 29 - 33 |
| अनुलग्नक ई | शिकायत वृद्धि मैट्रिक्स | 34 |
| अनुलग्नक एफ | कोच्ची कार्यालय द्वारा प्रबंधित संपत्तियों का विवरण | 35 |
| अनुलग्नक जी | बोलीदाता के बैंक खाते का विवरण | 36 |
| | भाग II- मूल्य बोली | 37 - 38 |

अस्वीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक, कोच्ची ने बैंक के मुख्य कार्यालय परिसर और कोच्ची स्थित विभिन्न आवासीय कॉलोनियों में स्थापित विभिन्न इन्वेंट्री वस्तुओं के लिए आरएफआईडी तकनीक-आधारित स्थायी संपत्ति प्रबंधन समाधान (एफएएमएस) लागू किया है। बैंक आरएफआईडी आधारित एफएएमएस के वार्षिक रखरखाव अनुबंध हेतु इच्छुक विक्रेताओं से कोटेशन आमंत्रित करता है। बैंक एक ऐसे विक्रेता का चयन करेगा जो निविदा दस्तावेज़ में वर्णित संपत्ति टैगिंग और समाधान सेवाएँ प्रतिस्पर्धी मूल्य पर प्रदान कर सके।

यह निविदा दस्तावेज़ न तो कोई समझौता है, न ही किसी भी पक्ष को किसी भी प्रकार का कार्य करने के लिए आमंत्रण है।

इस निविदा दस्तावेज़ का उद्देश्य सभी इच्छुक पक्षों को अपनी बोली प्रस्तुत करने के लिए बैंक की आवश्यकताओं की जानकारी प्रदान करना है। यद्यपि RBI ने इसमें निहित जानकारी तैयार करने में उचित सावधानी बरती है, RBI यह दावा नहीं करता कि यह जानकारी संपूर्ण है। इस निविदा दस्तावेज़ के प्रतिवादियों को स्वयं पूछताछ करनी होगी और उन्होंने केवल निविदा दस्तावेज़ों में दी गई जानकारी पर भरोसा नहीं किया है। यदि प्रतिवादियों द्वारा उचित परिश्रम नहीं किया जाता है, तो RBI इसके लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा।

खंड I

निविदा आमंत्रण सूचना

| | |
|-------|---|
| 1.1 | कार्य का नाम: |
| | भारतीय रिजर्व बैंक के कोच्ची स्थित कार्यालय और उसकी आवासीय कॉलोनियों में स्थापित विभिन्न इन्वेंट्री वस्तुओं के लिए आरएफआईडी आधारित स्थिर परिसंपत्ति प्रबंधन समाधान हेतु वार्षिक रखरखाव अनुबंध (एएमसी)। |
| 1.1.1 | न्यूनतम पात्रता मानदंड: |
| (ए) | विक्रेता को 30 सितंबर, 2025 तक कम से कम पिछले 3 वर्षों से आरएफआईडी आधारित परिसंपत्ति प्रबंधन प्रणाली/समाधान प्रदान करने के व्यवसाय में होना चाहिए और इसी प्रकार की परियोजनाओं का निष्पादन किया होना चाहिए। [संबंधित संगठन/एजेंसी द्वारा जारी निष्पादित कार्य का पूर्णता प्रमाण पत्र (अनुमानित लागत के बराबर) प्रस्तुत किया जाना चाहिए।] |
| (बी) | विक्रेता के पास 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले पिछले 3 वित्तीय वर्षों के दौरान अनुमानित लागत के 100% या उससे अधिक राशि का वार्षिक कारोबार होना चाहिए। [सीए से पिछले 3 वित्तीय वर्षों (2022-23, 2023-24, 2024-25) के कारोबार के लिए प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।] |
| (सी) | आरएफआईडी आधारित परिसंपत्ति प्रबंधन प्रणाली/समाधान प्रदान करने के व्यवसाय में संलग्नता की पुष्टि के लिए विक्रेता को उपयुक्त प्राधिकारियों के अधीन पंजीकृत होना चाहिए। [आवश्यक पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति प्रस्तुत की जानी चाहिए।] |
| (डी) | कार्य करने के लिए विक्रेता के पास अपने स्वयं के आरएफआईडी स्कैनर, टैग प्रिंटर आदि होने चाहिए। (अनुबंध में निर्दिष्ट निर्माता, मॉडल संख्या आदि से संबंधित आवश्यक विवरणों के साथ बोलीदाता के लेटरहेड पर वचनबद्धता प्रस्तुत की जानी चाहिए।) एक। |

1.2 निविदा की अनुसूची इस प्रकार है:

| | | |
|----|---|--|
| ए | कार्य की अनुमानित लागत | ₹1.40 लाख (केवल एक लाख चालीस हजार रुपये) जीएसटी सहित (विभिन्न प्रकार के आरएफआईडी टैग की लागत और सेवा शुल्क सहित) |
| बी | निविदा का तरीका | ऑफलाइन मोड. (शारीरिक निविदा) |
| सी | वह तिथि जिससे निविदा दस्तावेज़ पक्षों के लिए उपलब्ध होंगे | 28 अक्टूबर, 2025 से आगे निविदा दस्तावेज़ आरबीआई की वेबसाइट https://www.rbi.org.in से 'निविदा' शीर्षक के अंतर्गत डाउनलोड किया जा सकता है। या |

| | | |
|----|---|--|
| | | <p>इसे सीधे संपदा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, बनर्जी रोड, एर्नाकुलम उत्तर, कोच्ची - 682 018 से प्राप्त किया जा सकता है।</p> <p>सभी शुद्धिपत्र/परिशिष्ट और आगे का संचार, यदि कोई हो, केवल आरबीआई वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।</p> |
| डी | <p>बयाना राशि जमा (ईएमडी)</p> | <p>₹2,800/- (केवल दो हजार आठ सौ रुपये)।</p> <p>भारतीय रिज़र्व बैंक, कोच्ची के पक्ष में एनईएफटी के माध्यम से जमा की जाएगी।</p> <p>एनईएफटी का प्रमाण बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के 14:00 बजे तक या उससे पहले बैंक को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।</p> <p>एनईएफटी लेनदेन का खाता विवरण इस प्रकार है :</p> <p>लाभार्थी का नाम: आरबीआई, कोच्ची लाभार्थी खाता संख्या: 186003001 IFSC: RBIS0KCPA01 (पांचवां और दसवां अक्षर शून्य हैं)</p> <p>उद्यम पंजीकरण संख्या (उद्योग आधार ज्ञापन संख्या) वाले सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) को अग्रिम राशि के भुगतान से छूट दी गई है। हालाँकि, उद्यम पंजीकरण प्रमाणपत्र की एक प्रति निविदा के भाग I के साथ जमा करनी होगी।</p> <p>कृपया ध्यान दें कि अग्रिम राशि ब्याज मुक्त होगी और कार्य आदेश मिलने के बाद असफल बोलीदाताओं को वापस कर दी जाएगी। हालाँकि, अग्रिम राशि L1 बोलीदाता/सफल बोलीदाता को सुरक्षा जमा जमा करने के बाद ही वापस की जाएगी।</p> |
| ई | बोली-पूर्व बैठक की तिथि और समय | <p>18 नवंबर 2025 को 11:00 बजे</p> <p>स्थान: संपदा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, कोच्ची</p> |
| एफ | बोली-पूर्व बैठक के परिणाम को परिशिष्ट, शुद्धिपत्र आदि के रूप में आरबीआई वेबसाइट पर अपलोड करने की तिथि और समय। | <p>19 नवंबर 2025 को 16:00 बजे</p> |
| जी | ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि और समय | <p>27 नवंबर 2025 को 14:00 बजे</p> |

| | | |
|--------|---|--|
| एच | आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि टेक्नो कमर्शियल बोली (भाग I) और मूल्य बोली (भाग II) | 27 नवंबर 2025 को 14:00 बजे । तकनीकी वाणिज्यिक बोली (भाग-I) के साथ-साथ जमा की गई अग्रिम राशि का प्रमाण तथा मूल्य बोली (भाग-II) को दो अलग-अलग सीलबंद लिफाफों में रखा जाएगा तथा दोनों लिफाफों को एक ही लिफाफे में रखा जाएगा तथा लिफाफे पर कार्य का नाम तथा निविदाकर्ता का नाम लिखा जाएगा। कार्यालय भवन की पहली मंजिल पर रखे 'कोटेशन बॉक्स' में डालकर या 'डाक' के माध्यम से भेजे जा सकते हैं। डाक द्वारा निर्धारित समय और तिथि तक बैंक में पहुँच जाना चाहिए । |
| मैं | भाग-1 के खुलने की तिथि एवं समय (टेक्नो-कमर्शियल बोली लगाना) | 27 नवंबर 2025 को 15:00 बजे |
| जे | भाग- II मूल्य बोलियों के खुलने की तिथि एवं समय | योग्य बोलीदाताओं की निविदा का भाग II (मूल्य-बोली) बाद की तारीख को खोला जाएगा, जिसकी सूचना योग्य बोलीदाताओं को दी जाएगी। |
| कश्मीर | सुरक्षा जमा राशि | सफल निविदाकर्ता द्वारा अनुबंध मूल्य का 5% |
| एल | परिसमापन हर्जाना | देरी के लिए प्रति सप्ताह 0.25%, अनुबंध राशि के अधिकतम 10% के अधीन। |
| एम | भुगतान की शर्त | खंड 3.4 में निर्धारित कार्य पूरा होने पर 100% । आरएफआईडी टैग की आपूर्ति के लिए, बोलीदाता द्वारा उद्धृत दर पर उपयोग किए गए आरएफआईडी टैग की वास्तविक संख्या के आधार पर भुगतान किया जाएगा। |
| एन | वैधता उद्धरण | तकनीकी बोली खुलने की तिथि से 90 दिन। आवश्यकता पड़ने पर इस अवधि को पारस्परिक रूप से आगे बढ़ाया जा सकता है। |
| हे | उत्पन्न होने वाले सभी विवाद क्षेत्राधिकार के अधीन होंगे | कोच्ची, केरल |
| पी | पूर्ण बोलियों को भेजने का पता | जीएम(ओ- आई -सी), संपदा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, बनर्जी रोड, एर्नाकुलम उत्तर, कोच्ची - 682 018 |
| क्यू | इस संबंध में संचार के लिए संपर्क व्यक्ति नाजुक | नाम एवं पदनाम: (क) सुश्री. क्षिप्रा रामचन्द्र कासार , प्रबंधक मोबाइल : 7093939382 (बी) सुश्री विनीता वी, एएम मोबाइल : 9747207776 ईमेल आईडी: estatekochi@rbi.org.in |

| | | |
|-----|---|--|
| आर | संविदा अवधि | एक वर्ष अर्थात दिसंबर 2026 तक, जिसे ठेकेदार के प्रदर्शन के आधार पर अगले दो वर्षों तक के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है |
| 1.3 | महाप्रबंधक (कार्यालय प्रभारी), भारतीय रिज़र्व बैंक, कोच्ची बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं और किसी भी नियम व शर्त में ढील देने का भी अधिकार रखते हैं। किसी भी बोलीदाता को अपनी बोली अस्वीकार होने पर आरबीआई के विरुद्ध कोई कार्रवाई या दावा करने का अधिकार नहीं होगा। | |
| 1.4 | इस निविदा के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत समस्त जानकारी भारतीय रिज़र्व बैंक की संपत्ति होगी तथा वह अपनी इच्छानुसार इसका उपयोग करने के लिए स्वतंत्र होगा। | |

**महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी),
भारतीय रिज़र्व बैंक, कोच्ची
संपदा विभाग**

खंड II

बोलीदाताओं के लिए निर्देश

| | |
|---------|--|
| 2.1 | 1.1.1 में उल्लिखित पात्र बोलीदाताओं से मुहरबंद बोलियाँ आमंत्रित करता है। पात्र बोलीदाताओं को तकनीकी और मूल्य बोलियाँ प्रस्तुत करनी होंगी। |
| 2.2 | बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे निविदा दस्तावेज़ों के सभी अनुभागों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। निविदा दस्तावेज़ों का सावधानीपूर्वक अध्ययन और परीक्षण करने तथा उसके निहितार्थों को पूरी तरह समझने के बाद ही बोलियाँ प्रस्तुत की गई मानी जाएँगी। |
| 2.3 | निविदा दस्तावेज प्राप्त करना: |
| (ए) | https://www.rbi.org.in से डाउनलोड किया जा सकता है। या संख्या 1.2(सी) में निर्दिष्ट निर्धारित समय और तिथि से किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान संपदा विभाग, कोच्ची कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं। |
| (बी) | धारा संख्या 1.2 (क्यू) में उल्लिखित फोन/ई-मेल पर संपदा विभाग के अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। |
| 2.4 | बोली-पूर्व बैठक: |
| | भारतीय रिज़र्व बैंक, परियोजना के संबंध में बोलीदाताओं के किसी भी प्रश्न का उत्तर देने/स्पष्टीकरण प्रदान करने तथा उन्हें इसके संबंध में प्रासंगिक जानकारी देने के लिए खंड 1.2 (ई) में निर्दिष्ट बोली-पूर्व बैठक(बैठकें) आयोजित करेगा। |
| 2.5 | निविदा दस्तावेज़ में संशोधन: |
| 2.5.1 | बोलियाँ प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से पहले किसी भी समय, भारतीय रिज़र्व बैंक किसी भी कारण से, चाहे अपनी पहल पर या किसी संभावित बोलीदाता द्वारा उठाए गए स्पष्टीकरण या प्रश्न के जवाब में, संशोधन द्वारा निविदा दस्तावेज को संशोधित कर सकता है। |
| 2.5.2 | उक्त संशोधन परिशिष्ट/शुद्धिपत्र के रूप में बैंक की वेबसाइट (https://www.rbi.org.in) पर अपलोड किया जाएगा। जारी किए गए परिशिष्ट निविदा दस्तावेज़ों का हिस्सा होंगे। |
| 2.5.3 | ऐसे संशोधनों को ध्यान में रखते हुए, भावी बोलीदाताओं को अपनी बोलियाँ तैयार करने के लिए उचित समय प्रदान करने के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक अपने विवेकानुसार, बोलियाँ प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि बढ़ा सकता है। |
| 2.6 | बोली की तैयारी: |
| 2.6.1 | तकनीकी बोली (भाग I) |
| (मैं) | खंड I से VI तकनीकी बोली का हिस्सा हैं। सभी खंडों पर बोलीदाता के हस्ताक्षर होने चाहिए। |
| (ii) | अनुभाग IV में मांगी गई सभी जानकारी भरनी होगी |
| (iii) | ईएमडी तकनीकी बोली का हिस्सा होगी और ईएमडी की राशि खंड 1.2(डी) में दर्शाई गई है। |
| (iv) | निविदा दस्तावेज अंग्रेजी में भरे जाने चाहिए और सभी प्रविष्टियाँ हाथ से और स्याही से लिखी जानी चाहिए। यदि कोई भी दस्तावेज गायब है या उस पर हस्ताक्षर नहीं हैं, तो बैंक अपने विवेकानुसार कोटेशन को अमान्य मान सकता है। |
| 2.6.2 | मूल्य बोली (भाग II) |

| | |
|-------|--|
| (i) | बोली की मुद्रा: बोली की कीमतें केवल भारतीय रुपये में उद्धृत की जाएँगी। इन कीमतों में कार्य से जुड़ी सभी लागतें शामिल होनी चाहिए, जिनमें जेब से होने वाला खर्च/संचालन व्यय, सभी कर, शुल्क, लेवी, उपकर, जीएसटी, बीमा, परिवहन, प्रवेश कर, डब्ल्यूसीटी, श्रम, अन्य सरकारी कर आदि शामिल हैं। |
| (ii) | राशि में किसी भी प्रकार के सुधार को बोलीदाता द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए। |
| (iii) | मूल्य को बोली मूल्य के अनुरूप ही उद्धृत किया जाना चाहिए तथा किसी भी अस्पष्टता से बचने के लिए कोई भी कॉलम रिक्त नहीं छोड़ा जाना चाहिए। |
| (iv) | बोलीदाताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मूल्य बोली के सभी कॉलम विधिवत भरे गए हैं और कोई भी कॉलम खाली नहीं छोड़ा गया है। मूल्य बोली खुलने के बाद, RBI द्वारा किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण पर विचार नहीं किया जाएगा। |
| (वी) | यदि मूल्य बोली का कोई भी कॉलम रिक्त पाया जाता है, तो संबंधित बोलीदाताओं की निविदा को गैर-उत्तरदायी माना जाएगा और आरबीआई द्वारा उसे तुरंत अस्वीकार कर दिया जाएगा और आगे की ईएमडी जब्त कर ली जाएगी। हालाँकि, यदि आवश्यक हो, तो बैंक खंड 1.2(डी) के अनुसार इस मामले की समीक्षा भी कर सकता है। |
| (छठी) | मूल्य बोली में हार्डवेयर आवश्यकता के लिए लागत का अनुमान लगाने हेतु अचल संपत्तियों के प्रकार और संख्या पर अनुलग्नक सी का संदर्भ लेना चाहिए। |
| 2.6.3 | प्रत्येक बोलीदाता के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह उन सभी स्थानीय परिस्थितियों और कारकों से पूरी तरह परिचित हो जाए जिनका अनुबंध के निष्पादन और वस्तुओं की लागत पर कोई प्रभाव पड़ेगा। बोलीदाता द्वारा प्रस्ताव स्वीकार कर लिए जाने के बाद, किसी भी स्थानीय परिस्थिति या कारक के कारण वस्तुओं की कीमत या डिलीवरी की समय-सारिणी में परिवर्तन के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। |
| 2.7 | बोलियों की वैधता अवधि: |
| 2.7.1 | बोलियां खंड 1.2 (एन) में दर्शाई गई अवधि के लिए आरबीआई द्वारा स्वीकृति के लिए वैध रहेंगी। यदि आवश्यक हुआ तो इस अवधि को पारस्परिक रूप से आगे बढ़ाया जा सकेगा। |
| 2.8 | बयाना राशि जमा (ईएमडी) / बोली सुरक्षा: |
| 2.8.1 | बोलीदाताओं को निविदा आमंत्रण सूचना के खंड 1.2 (डी) में दर्शाई गई राशि के लिए बोली सुरक्षा राशि अपनी बोली के साथ संलग्न करनी होगी। |
| 2.8.2 | बोली सुरक्षा भारतीय रिज़र्व बैंक, कोच्ची के पक्ष में एनईएफटी के रूप में होगी (खंड 1.2(डी) के अनुसार)। बोली सुरक्षा पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। |
| 2.8.3 | जिन बोलियों के साथ बोली सुरक्षा राशि नहीं होगी, उन्हें गैर-उत्तरदायी माना जाएगा तथा आरबीआई द्वारा उन्हें सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा। |
| 2.8.4 | सफल बोलीदाता को कार्य सौंपे जाने के बाद, असफल बोलीदाताओं की बोली प्रतिभूतियाँ आरबीआई द्वारा वापस कर दी जाएंगी। |
| 2.8.5 | सफल बोलीदाता की बोली सुरक्षा राशि सुरक्षा जमा प्राप्त होने पर वापस कर दी जाएगी। |
| 2.9 | बोली सुरक्षा जब्त कर ली जाएगी यदि: |
| (मैं) | बोलीदाता ने प्रस्तुत प्रपत्रों, बयानों और अनुलग्नकों में भ्रामक या गलत जानकारी दी, किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी को छिपाया, न्यायालय में लंबित किसी भी कानूनी कार्यवाही का ब्यौरा नहीं दिया, जिससे अन्यथा पात्रता मानदंडों पर कोई प्रभाव पड़ सकता था। |

| | |
|--------|---|
| (ii) | बोलीदाता ने बोली मूल्य का कॉलम खाली छोड़ दिया। |
| (iii) | बोलीदाता बोली की वैधता अवधि के दौरान अपनी बोली वापस ले सकता है। |
| (iv) | बोलीदाता को किसी सरकारी एजेंसी द्वारा काली सूची में डाला गया है और काली सूची अभी भी लागू है। |
| (वी) | सफल बोलीदाता के मामले में, यदि वह निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्य पूरा करने में विफल रहता है। |
| 2.10 | बोलियां प्रस्तुत करने की प्रक्रिया: |
| | इस बोली के लिए निम्नलिखित दो भाग प्रस्तावित हैं - |
| 2.10.1 | तकनीकी बोली (लिफाफा 1) में निम्नलिखित मदें शामिल होंगी - |
| (ए) | पूर्व-योग्यता के दस्तावेजी प्रमाण। |
| (बी) | ईएमडी तकनीकी बोली का हिस्सा होगा। |
| | तकनीकी बोली (भाग 1) और जमा की गई अग्रिम राशि का प्रमाण एक लिफाफे में रखा जाएगा जिस पर "तकनीकी बोली" लिखा होगा। कृपया ध्यान दें कि तकनीकी बोली में कीमतें नहीं दर्शाई जानी चाहिए। |
| 2.10.2 | मूल्य बोली (लिफाफा 2) |
| | मूल्य बोली (भाग 2) एक कवर में जिस पर "मूल्य बोली" लिखा हो। |
| 2.10.3 | दोनों लिफाफे (1 और 2) अर्थात् तकनीकी और मूल्य बोलियां एक ही सीलबंद लिफाफे में रखी जानी हैं, जिस पर कार्य का नाम और निविदाकर्ता का नाम लिखा होना चाहिए। निविदा सीधे भारतीय रिज़र्व बैंक, कोच्ची कार्यालय की पहली मंजिल पर रखे 'कोटेशन बॉक्स' में डालकर या 'डाक' के माध्यम से भेजी जा सकती है। डाक द्वारा निविदा निर्धारित समय और तिथि से पहले बैंक में पहुँच जानी चाहिए। |
| 2.10.4 | सभी लिफाफों पर स्पष्ट रूप से विक्रेता का नाम और पता अंकित होना चाहिए। बोलीदाता. |
| 2.10.5 | यदि खोलने पर यदि बोली एकल सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत की जाती है, तथा यह पाया जाता है कि तकनीकी बोली और मूल्य बोली को अलग-अलग लिफाफे में नहीं रखा गया है, तो बोली अस्वीकृत कर दी जाएगी। |
| 2.10.6 | तकनीकी बोली खोलने के बाद, यदि यह पाया जाता है कि किसी बोलीदाता ने अनजाने में मूल्य बोली के लिफाफे में ईएमडी डाल दी है, तो बैंक खंड 2.8 के अनुसार निर्दिष्ट समय (जैसा कि बैंक द्वारा तय किया गया है) के भीतर एक नई ईएमडी जमा करने के लिए कह सकता है और मूल्य बोली खोलने के दौरान पुरानी ईएमडी मिलने/वसूली के बाद यह ईएमडी वापस कर दी जाएगी। यदि मूल्य बोली में कोई ईएमडी नहीं पाई जाती है, तो बैंक बोलीदाता की बोली/निविदा को अस्वीकार कर देगा और नई जमा की गई ईएमडी जब्त कर लेगा। यदि बोलीदाता निर्दिष्ट समयावधि में नई ईएमडी जमा करने में विफल रहता है, तो बोली भी अस्वीकार की जा सकती है। |
| 2.11 | कोई भी सशर्त/वैकल्पिक उद्धरण स्वीकार नहीं किया जाएगा। |
| 2.12 | बोलीदाताओं को बोलियां प्राप्त होने के बाद अपनी बोलियों में परिवर्तन या संशोधन करने की अनुमति नहीं होगी। |
| 2.13 | बोलियों की प्राप्ति: |

| | |
|--------|--|
| | खंड 1.2(एच) में उल्लिखित निर्धारित समय और तिथि तक स्वीकार की जाएँगी। बोलियाँ निर्धारित अंतिम तिथि और समय से पहले संपदा विभाग, आरबीआई, कोच्ची में जमा की जानी चाहिए। उसके बाद प्राप्त बोलियों पर विचार नहीं किया जाएगा। |
| 2.14 | तकनीकी बोली खोलना: |
| | खंड 1.2(II) में उल्लिखित निर्धारित समय और तिथि पर संपदा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक में खोली जाएँगी। बोलीदाता या उनके अधिकृत प्रतिनिधि, यदि चाहें तो, उपस्थित हो सकते हैं। |
| 2.15 | तकनीकी बोली की जांच: |
| 2.15.1 | तकनीकी बोली का मूल्यांकन अनुबंध की विशेष शर्त में दर्शाई गई प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा, जैसा कि खंड III में दर्शाया गया है। |
| 2.15.2 | तकनीकी बोलियों के मूल्यांकन के बाद, चयनित बोलीदाताओं की सूची सभी बोलीदाताओं को सूचित की जाएगी। प्रस्ताव की तकनीकी उपयुक्तता पर बैंक का निर्णय अंतिम होगा और इस पर चर्चा नहीं की जाएगी। |
| 2.16 | मूल्य बोली का उद्घाटन: |
| | चयनित बोलीदाताओं की मूल्य बोलियाँ बाद में खोली जाएँगी और उन्हें तदनुसार तिथि एवं समय की सूचना दी जाएगी। चयनित बोलीदाता या उनके अधिकृत प्रतिनिधि, यदि चाहें तो, उपस्थित हो सकते हैं। निविदा के भाग-I में किसी भी प्रकार का विचलन स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि फर्म निविदा में कोई विचलन दर्ज करती है, तो उसकी निविदा को पूर्णतः अस्वीकार कर दिया जाएगा। ऐसी निविदा का भाग-II नहीं खोला जाएगा। भाग-II केवल उन्हीं बोलीदाताओं के लिए खोला जाएगा जो निविदा के भाग-I में अर्हता प्राप्त करते हैं। |
| 2.17 | बैंक को आपूर्ति आदेश जारी करने/अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के समय मात्रा में परिवर्तन करने या चयनित बोलीदाताओं के बीच आदेश को विभाजित करने का अधिकार है। |
| 2.18 | नियोक्ता का किसी भी बोली को स्वीकार करने और किसी या सभी बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार: |
| | ऊपर उल्लिखित किसी भी बात के बावजूद, आरबीआई अनुबंध प्रदान किए जाने से पहले किसी भी समय किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जिससे प्रभावित बोलीदाता या बोलीदाताओं पर कोई दायित्व नहीं होगा। बैंक किसी भी या सभी बोलियों को अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं बताएगा। |
| | आरबीआई निम्नलिखित कारणों से अनुबंध प्रदान करने से पहले किसी भी स्तर पर चयन प्रक्रिया को रद्द/निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है: |
| (ए) | यदि कोई बोली प्राप्त नहीं होती है। |
| (बी) | किसी ऐसी घटना के घटित होने के कारण चयन प्रक्रिया को आगे बढ़ाना संभव नहीं है। |
| (सी) | बोलीदाताओं की ओर से संभावित सहयोग/शरारत का साक्ष्य, जिससे प्रतिस्पर्धा और चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता प्रभावित हो। |
| (डी) | कोई अन्य कारण, जो नियोक्ता की राय में चयन प्रक्रिया को रद्द करना आवश्यक बनाता हो। |

| | |
|------|---|
| (ई) | ऐसी किसी भी घटना के घटित होने पर, RBI सभी बोलीदाताओं को ऐसे निर्णय के 7 दिनों के भीतर या किसी भी उचित समय के भीतर सूचित करेगा। RBI बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत बोली सुरक्षा राशि को भी ऐसी सूचना जारी होने के 15 दिनों के भीतर या किसी भी उचित समय के भीतर तुरंत वापस कर देगा। RBI इस संबंध में किसी भी बोलीदाता को कोई कारण या स्पष्टीकरण देने के लिए बाध्य नहीं है। इस खंड के अंतर्गत RBI का दायित्व केवल बोली सुरक्षा राशि वापस करने तक ही सीमित है और नियोक्ता द्वारा इस संबंध में किसी भी प्रकार की लागत/व्यय की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी। |
| (एफ) | नियोक्ता के पास प्रक्रिया को पुनः निविदा करने या किसी सरकारी एजेंसी या अर्ध सरकारी एजेंसी द्वारा कार्य करवाने का अधिकार सुरक्षित है, यदि नियोक्ता का यह मत है कि प्राप्त बोलियां आर्थिक रूप से या अन्यथा व्यवहार्य नहीं हैं या उपरोक्त उप-खंड (ए) से (डी) में दिए गए कारणों से स्वीकार्य नहीं हैं। |
| 2.20 | विवाद: |
| | उत्पन्न होने वाले सभी विवाद धारा 1.2(ओ) में निर्दिष्ट उपयुक्त न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अधीन होंगे तथा भारत के कानूनों द्वारा शासित होंगे। |

स्थान:

(बोलीदाता के हस्ताक्षर और मुहर)

दिनांक:

(नाम)

खंड III

अनुबंध की विशेष शर्तें

| | |
|------------|---|
| 3.1 | बोली का मूल्यांकन: |
| 3.1.1 | मूल्यांकन प्रक्रिया का उद्देश्य प्राप्त बोलियों का मूल्यांकन करना और एक ऐसे विक्रेता का चयन करना है जो प्रतिस्पर्धी मूल्य पर परिसंपत्ति टैगिंग और समाधान सेवाएँ प्रदान कर सके। मूल्यांकन और चयन के संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम होगा। |
| 3.1.2 | एफएमएस परियोजना के मूल्यांकन पर विचार करने के लिए, बोलीदाताओं से तकनीकी बोली और मूल्य बोली पर प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है। |
| 3.1.3 | तकनीकी बोली के भाग के रूप में, बैंक यह जाँच करेगा कि क्या बोलीदाता प्रस्तुत विवरण और साक्ष्यों के आधार पर खंड 1.1.1 में उल्लिखित न्यूनतम पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं। बैंक खंड I से VII में उल्लिखित अन्य आवश्यकताओं का भी मूल्यांकन करेगा। जो बोलीदाता आवश्यक दस्तावेज, जमा राशि/ बैंक गारंटी या कोई अन्य आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने में असमर्थ होंगे, उन्हें मूल्यांकन प्रक्रिया से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। |
| 3.1.4 | तकनीकी बोली में उल्लिखित मानदंडों को पूरा करने वाले बोलीदाताओं को मूल्यांकन के अगले चरण में भेजा जाएगा। ऐसे सभी बोलीदाताओं के लिए मूल्य बोलियाँ खोली जाएँगी। |
| 3.1.5 | मूल्य बोलियाँ खुलने के बाद, मूल्य बोली के लिए सबसे कम बोली लगाने वाले बोलीदाता को L1 के रूप में रैंक किया जाएगा और इसी प्रकार आगे भी रैंक किया जाएगा। |
| 3.1.6 | न्यूनतम बोली लगाने वाले बोलीदाता को सफल बोलीदाता घोषित किया जाएगा तथा उसे अनुबंध प्रदान किया जाएगा। |
| 3.2 | समझौते का निष्पादन: |
| | बैंक से अपनी निविदा स्वीकार होने की सूचना मिलने पर, सफल बोलीदाता चौदह दिनों के भीतर औपचारिक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होगा। अनुबंध के निष्पादन के लिए आवश्यक स्टाम्प पेपर (₹200) का खर्च बोलीदाता/बोलीदाता द्वारा वहन किया जाएगा। अनुबंध के अनुच्छेद का प्रारूप खंड VI में दिया गया है। |
| 3.3 | विलंब के लिए निश्चित क्षतिपूर्ति: |
| | यदि सफल बोलीदाता परियोजना की समय-सीमा का पालन करने में असमर्थ रहता है, तो बोलीदाता से निश्चित क्षतिपूर्ति ली जाएगी {खंड 1.2(एल) देखें} |
| 3.4 | भुगतानी की शर्तें: |
| (मैं) | आरएफआईडी टैगिंग और समाधान के लिए शुल्क का भुगतान सभी प्रकार से कार्य पूरा होने पर अर्थात् बैंक की संतुष्टि और खंड 1.2 (के) और 3.8 में निर्दिष्ट सुरक्षा जमा जमा करने पर 100% किया जाएगा। |
| (ii) | 1. आरएफआईडी टैगों के अर्ध-वार्षिक जोड़/प्रतिस्थापन और अर्ध-वार्षिक समाधान सेवाओं के लिए शुल्क का भुगतान अर्ध-वार्षिक आधार पर किया जाएगा। 2. अनुबंध अवधि के दौरान, आरएफआईडी टैग के लिए शुल्क का भुगतान मूल्य बोली के भाग ए में उल्लिखित अनुसार किया जाएगा। |

| | |
|------------|--|
| (iii) | प्रत्येक भुगतान पर कानून के अनुसार वैधानिक कटौती की जाएगी। |
| (iv) | उपर्युक्त गतिविधियों के बिलों का भुगतान 45 दिनों के भीतर किया जाएगा। इसे प्रस्तुत करने की तिथि। |
| 3.5 | अप्रत्याशित घटना: |
| | बोलीदाता अपनी ईएमडी जब्त करने, क्षतिपूर्ति राशि तय करने या चूक के लिए अनुबंध समाप्त करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, यदि निष्पादन में देरी या अनुबंध के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने में अन्य विफलता अप्रत्याशित घटना का परिणाम है। खंड के प्रयोजनों के लिए, "अप्रत्याशित घटना" का अर्थ बोलीदाता के नियंत्रण से परे एक घटना है और बोलीदाता की गलती या लापरवाही को शामिल नहीं करता है और पूर्वानुमानित नहीं है। ऐसी घटनाओं में युद्ध या क्रांति, आग, बाढ़, महामारी, संगरोध प्रतिबंध, माल ढुलाई प्रतिबंध आदि शामिल हो सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक यह तय करेगा कि बोलीदाता की ओर से देरी या विफलता उसके नियंत्रण से परे एक घटना का परिणाम थी या नहीं। इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक का निर्णय अंतिम और आपूर्तिकर्ता पर बाध्यकारी होना चाहिए और किसी भी कार्यवाही में किसी भी अदालत / मंच के समक्ष प्रश्न के लिए खुला नहीं होगा। |
| 3.6 | डिफॉल्ट के लिए समाप्ति |
| 3.6.1 | बैंक अनुबंध के उल्लंघन के लिए किसी अन्य उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बोलीदाता को सात दिन (07) दिन का लिखित नोटिस भेजकर और बोलीदाता द्वारा चूक को ठीक करने के लिए कोई सुधारात्मक कार्रवाई प्रस्तावित करने और/या निष्पादित करने में विफलता और उपेक्षा के आधार पर, इस अनुबंध को पूर्णतः या आंशिक रूप से समाप्त कर सकता है: |
| (मैं) | यदि बोलीदाता अनुबंध में निर्दिष्ट समय अवधि के भीतर किसी या सभी वस्तुओं को वितरित करने में विफल रहता है; या |
| (ii) | यदि बोलीदाता अनुबंध के तहत किसी अन्य दायित्व को पूरा करने में विफल रहता है। |
| 3.6.2 | अनुबंध की समाप्ति पर, चूक के कारण बोलीदाता की सुरक्षा जमा राशि जब्त कर ली जाएगी। |
| 3.6.3 | दिवालियापन के कारण समाप्ति: |
| | बैंक किसी भी समय अनुबंध को समाप्त कर सकता है बोलीदाता को लिखित नोटिस देना, बोलीदाता को मुआवजा दिए बिना, यदि बोलीदाता दिवालिया हो जाता है या अन्यथा दिवालिया हो जाता है, बशर्ते कि ऐसी समाप्ति बैंक को प्राप्त हुई या उसके बाद प्राप्त होने वाली किसी भी कार्रवाई या उपचार के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी। |
| 3.7 | सामान्य नियम और शर्तें: |
| 3.7.1 | बैंक सफल बोलीदाता के साथ उद्धृत दरों पर एक वर्ष की अवधि के लिए अनुबंध करने का इरादा रखता है। संतोषजनक प्रदर्शन और एजेंसी द्वारा अनुबंध की शर्तों को संतोषजनक ढंग से पूरा करने की शर्त पर, बैंक के विवेक पर अनुबंध को दो वर्षों की अतिरिक्त अवधि के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है। आरएफआईडी टैग के लिए उद्धृत दरें अनुबंध की पूरी अवधि के लिए मान्य होंगी, जिसमें अनुबंध नवीनीकरण की दो वर्ष की अवधि भी शामिल है। अर्ध-वार्षिक समाधान सेवाओं के लिए अनुबंध नवीनीकरण राशि की गणना खंड 3.9 में दिए गए नवीनीकरण सूत्र के अनुसार की जाएगी। |
| 3.7.2 | बैंक केवल चयनित बोलीदाता से ही आरएफआईडी टैग खरीदेगा। आरएफआईडी प्रिंटर, रीडर आदि जैसे अन्य हार्डवेयर का प्रबंधन चयनित बोलीदाता को स्वयं करना होगा। |

| | |
|------------|---|
| 3.7.3 | आरएफआईडी टैग में पुनः-लेखन योग्य मेमोरी होनी चाहिए और कम से कम 12 अल्फान्यूमेरिक वर्ण संग्रहीत करने की क्षमता होनी चाहिए। आरएफआईडी टैग केवल निष्क्रिय प्रकार के होने चाहिए। |
| 3.7.4 | निर्धारित दौरे का निर्णय विक्रेता द्वारा बैंक के अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श के बाद लिया जाएगा तथा बैंक योजना के अनुसार कार्य पूरा करने में आवश्यक सहायता सुनिश्चित करेगा। |
| 3.7.5 | आरएफआईडी टैग्स का विन्यास इस प्रकार किया जाना चाहिए कि बाजार में उपलब्ध कोई भी रीडर/स्कैनर इन आरएफआईडी टैग्स के एन्कोडेड विवरणों को पहचान सके। इस शर्त के अनुपालन की पुष्टि विक्रेता द्वारा अनुबंध 'बी' में निर्दिष्ट अनुसार अपने लेटरहेड पर प्रस्तुत की जानी चाहिए। यह प्रारंभिक आरएफआईडी टैगिंग और अचल संपत्तियों के मिलान के बाद प्रस्तुत की जानी चाहिए। |
| 3.7.6 | कृपया ध्यान दें कि रीडर/स्कैनर स्कैन किए गए डेटा को टेक्स्ट फॉर्मेट में संग्रहीत करेंगे और उसे एक्सेल/सीएसवी में निर्यात करेंगे, जिसमें डेटा प्रकार के मान 'सामान्य' होंगे, न कि 'टेक्स्ट'। |
| 3.7.7 | यदि किसी आरएफआईडी टैग में निर्दिष्ट जीवन चक्र/वारंटी अवधि समाप्त होने से पहले खराबी आ जाती है, तो विक्रेता उसे निःशुल्क बदल देगा। |
| 3.7.8 | जून और दिसंबर को समाप्त होने वाली छमाही के लिए अर्ध-वार्षिक परिवर्धन/प्रतिस्थापन गतिविधियों को क्रमशः जून और दिसंबर को समाप्त होने वाली अवधि के लिए अर्ध-वार्षिक समाधान प्रक्रिया के साथ पूरा किया जाएगा। |
| 3.8 | सुरक्षा जमा राशि : |
| | <p>अनुबंध मूल्य* के 5% की राशि के बराबर सुरक्षा जमा राशि जमा करनी होगी। यदि बोलीदाता का प्रदर्शन अनुबंध अवधि के दौरान मानक के अनुरूप नहीं रहता है, तो सुरक्षा जमा राशि जब्त कर ली जाएगी।</p> <p><i>* अनुबंध मूल्य: मूल्य बोली (भाग 2) में उद्धृत राशि कुल योग (ए+बी) अर्थात् हार्डवेयर आवश्यकता (ए) और आरएफआईडी टैग के अर्ध-वार्षिक जोड़/प्रतिस्थापन और अर्ध-वार्षिक सुलह सेवाओं (बी) के लिए उद्धृत राशि का योग।</i></p> |
| 3.9 | वार्षिक रखरखाव अनुबंध (एएमसी) का नवीनीकरण: |
| | <p>बैंक अपने विवेकानुसार विक्रेता के साथ अनुबंध को अगले दो वर्षों के लिए नवीनीकृत कर सकता है (अनुबंध की प्रथम वर्ष की अवधि सफलतापूर्वक पूरी होने के बाद)।</p> <p><u>अनुबंध के नवीकरण के मामले में, आरएफआईडी टैग की आपूर्ति के लिए उद्धृत प्रारंभिक दरें तीनों वर्षों के लिए स्थिर रहेंगी।</u></p> <p>आरएफआईडी टैग जोड़ने/बदलने और अर्ध-वार्षिक समाधान सेवाओं के लिए उद्धृत दरों की गणना निम्नलिखित सूत्र के आधार पर की जाएगी:</p> <p>नवीकरण सूत्र = $Ac = Ap \times (CPIc / CPIp)$</p> <p>कहाँ:</p> |

एसी = वर्तमान अवधि के लिए अर्ध-वार्षिक अतिरिक्त/प्रतिस्थापन आरएफआईडी टैग और अर्ध-वार्षिक समाधान सेवाओं के लिए शुल्क,
 एपी = आरएफआईडी टैग के अर्ध-वार्षिक जोड़/प्रतिस्थापन और पिछली अवधि के लिए अर्ध-वार्षिक समाधान सेवाओं के लिए शुल्क,
 सीपीआईसी = औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (अखिल भारतीय औसत) वर्तमान अवधि के लिए नवीनीकृत अनुबंध की प्रारंभ तिथि से 6 महीने पहले,
 सीपीआईपी = औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (अखिल भारतीय औसत) पिछली अवधि के लिए नवीनीकृत अनुबंध की प्रारंभ तिथि से 6 महीने पहले।

स्थान: (बोलीदाता के हस्ताक्षर और मुहर)

दिनांक : (नाम)

खंड IV
बोलीदाताओं का विवरण

4.1. फर्म का विवरण:

| क्रमांक। | विवरण | बोलीदाता द्वारा भरा जाना है |
|----------|---|-----------------------------|
| 1 | फर्म का नाम | |
| 2 | फर्म की संरचना (साझेदारी/स्वामित्व/पब्लिक लिमिटेड) | |
| 3 | फर्म के मालिक/भागीदारों/निदेशकों के नाम | |
| 4 | सहायक दस्तावेजों के साथ टीआईएन और जीएसटी विवरण | |
| 5 | फर्म का पता | |
| | टेलीफ़ोन | |
| | ईमेल | |
| | फैक्स | |
| 6 | कार्य अनुभव (वर्षों में) | |

4.2 हमारे बैंकों का विवरण निम्नानुसार है:

| क्रमांक। | विवरण | बोलीदाता द्वारा भरा जाना है |
|----------|-----------------------|-----------------------------|
| 1 | बैंक का नाम | |
| 2 | शाखा पता | |
| 3 | टेलीफोन और फैक्स नंबर | |
| 4 | संपर्क व्यक्ति का नाम | |

| | | |
|---|---|--|
| 5 | बैंक से फर्म द्वारा प्राप्त ऋण सुविधा/ओवरड्राफ्ट सुविधा | |
| 6 | वह अवधि जब से फर्म बैंक के साथ बैंकिंग कर रही है | |

बोलीदाता के हस्ताक्षर, मुहर/दिनांक सहित

खंड V
काम की गुंजाइश

| | |
|-----|---|
| 5 | <p>बैंक की आवश्यकता/विनिर्देश :</p> <p>विक्रेता को बैंक के मांगपत्र के अनुसार आवश्यक प्रकार और संख्या में आरएफआईडी टैग की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करनी होगी; और टैग लगाने, भौतिक सत्यापन और मिलान संबंधी गतिविधियों को समय पर पूरा करना होगा (निर्दिष्ट कार्यक्रम के अनुसार)। निविदा के लिए आवेदन करने से पहले, विक्रेता आरएफआईडी टैग की जाने वाली संपत्तियों के प्रकार और टैग की गुणवत्ता संबंधी आवश्यकताओं से परिचित होने के लिए निर्धारित तिथियों पर बैंक के कार्यालय भवनों का दौरा कर सकते हैं। यह गतिविधि कोचवी स्थित बैंक के कार्यालय और आवासीय संपत्तियों पर की जाएगी। संपत्तियों की सूची और संपत्तियों की संख्या अनुलग्नक F में दी गई है। बोलीदाताओं को यह भी सलाह दी जाती है कि वे अनुलग्नक-डी में दी गई सेवाओं के लिए प्रक्रियाओं और जिम्मेदारियों पर विस्तृत स्पष्टीकरण देखें।</p> |
| 5.1 | <p>कार्यक्षेत्र में सेवाएँ (31 दिसंबर, 2025 को समाप्त होने वाले अर्धवार्षिक आधार पर शुरू की जाएंगी):</p> <ol style="list-style-type: none"> नई/हस्तांतरित संपत्तियों के लिए नए आरएफआईडी टैग की आपूर्ति और स्थापना क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में आरएफआईडी टैग का प्रतिस्थापन। कार्यालय भवन और आवासीय कॉलोनियों में स्थापित और उपलब्ध सभी अचल संपत्तियों और मृत स्टॉक वस्तुओं का भौतिक सत्यापन (स्कैनर की सहायता से) और अर्धवार्षिक आधार पर सिस्टम डेटा (एसेट मास्टर सूची) के साथ उनका मिलान करना। इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद फर्म द्वारा बैंक के साथ एक समाधान रिपोर्ट और प्रमाण पत्र साझा किया जाएगा। <p>इस निविदा के अंत में अनुलग्नक डी में सेवाओं के उपरोक्त सेट के लिए प्रक्रियाओं और जिम्मेदारियों पर विस्तृत स्पष्टीकरण देखें ।</p> |
| 5.2 | <p>समावेशन और बहिष्करण:</p> <ul style="list-style-type: none"> बैंक सफल बोलीदाता से परिसंपत्ति प्रबंधन के लिए आवश्यक सभी प्रकार के आरएफआईडी टैग खरीदेगा। बैंक आरएफआईडी रीडर, प्रिंटर आदि जैसे कोई अन्य हार्डवेयर नहीं खरीदेगा। विक्रेताओं को संबंधित सेवाओं की डिलीवरी के लिए इन उपकरणों का प्रबंधन स्वयं करना होगा। |
| 5.3 | <p>लागू सेवा स्तर समझौता (SLA):</p> <ul style="list-style-type: none"> आरएफआईडी टैग बैंक से मांग प्राप्त होने के 10 दिनों के भीतर आपूर्ति किए जाएंगे। अर्थात् 30 जून और 31 दिसंबर को किया जाना है । 30 जून तक की परिसंपत्तियों के लिए यह गतिविधि जुलाई के अंत तक पूरी हो जानी चाहिए। इसी प्रकार, 31 दिसंबर तक की परिसंपत्तियों के लिए यह जनवरी के अंत तक पूरी हो जानी चाहिए। |

बोलीदाता के हस्ताक्षर, मुहर/दिनांक सहित

खंड VI

समझौते के लेखों का प्रारूप

(सफल बोलीदाता द्वारा 200/- रुपये के स्टाम्प पेपर पर)

समझौते के अनुच्छेद _____ के _____ दिन को भारतीय रिजर्व बैंक, जिसका केंद्रीय कार्यालय मुंबई में है (जिसे आगे "नियोक्ता" कहा जाएगा) एक पक्ष की ओर से और _____ (जिसे आगे "बोलीदाता" कहा जाएगा) दूसरे पक्ष की ओर से।

जबकि नियोक्ता _____ और कोटेशन के अनुरोध के अनुसार इच्छुक है।

और जबकि बोलीदाता ने विषयगत कार्य को यहां निर्धारित शर्तों के अनुसार और अनुबंध की विशेष शर्तों में निर्धारित शर्तों के अनुसार तथा अनुबंध की मात्राओं और शर्तों की अनुसूची में निर्धारित शर्तों के अनुसार निष्पादित करने के लिए सहमति दे दी है, जैसा कि दोनों पक्षों द्वारा संशोधित और अंतिम रूप से स्वीकार किया गया है (जिनमें से सभी को सामूहिक रूप से इसके बाद "उक्त शर्तों" के रूप में संदर्भित किया गया है) बैंक की उक्त आवश्यकता पर दर्शाए गए कार्य और/या उक्त विनिर्देशों में वर्णित और मात्राओं की अनुसूची में शामिल संबंधित दरों पर, जो उसमें निर्धारित राशि के बराबर होगी या ऐसी अन्य राशि जो उसके तहत देय होगी (इसके बाद "उक्त अनुबंध राशि" के रूप में संदर्भित)।

अब इस प्रकार सहमति व्यक्त की जाती है –

| | |
|---|--|
| 1 | यह अनुबंध भारतीय रिजर्व बैंक, कोच्ची कार्यालय और इसकी आवासीय कॉलोनियों के लिए आरएफआईडी प्रौद्योगिकी आधारित स्थिर परिसंपत्ति प्रबंधन समाधान (एफएएमएस) के वार्षिक रखरखाव के लिए है। |
| 2 | उक्त शर्तों में निर्धारित समय और तरीके से भुगतान की जाने वाली उक्त अनुबंध राशि के प्रतिफल में, बोलीदाता, उक्त शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त विनिर्देशों और मात्राओं की अनुसूची में दर्शाए गए और वर्णित कार्य को निष्पादित और पूरा करेगा। |
| 3 | नियोक्ता बोलीदाता को उक्त अनुबंध राशि या ऐसी अन्य राशि का भुगतान करेगा जो उक्त शर्तों में निर्दिष्ट समय और तरीके से देय हो जाएगी। |
| 4 | उक्त शर्तों और उसके परिशिष्ट को इस समझौते के भाग के रूप में पढ़ा और समझा जाएगा तथा इसके पक्षकार क्रमशः उक्त शर्तों का पालन करेंगे, उनके प्रति समर्पित होंगे तथा अपनी ओर से उक्त शर्तों के अंतर्गत समझौतों का पालन करेंगे। |

| | |
|-----------|--|
| 5 | समय को इस अनुबंध का महत्वपूर्ण कारक माना जाएगा और बोलीदाता इसके द्वारा उक्त शर्तों के अनुसार कार्य आदेश/स्वीकृति पत्र जारी होने के दिन से कार्य शुरू करने और समय के विस्तार के प्रावधानों के अधीन दायरे में सेवाओं के अनुसार सभी गतिविधियों के लिए बैंक के साथ सहमत समय-सीमा के भीतर पूरा काम पूरा करने के लिए सहमत है। |
| 6 | इस अनुबंध के अंतर्गत नियोक्ता द्वारा सभी भुगतान केवल भारतीय रिज़र्व बैंक, कोच्ची में किए जाएंगे |
| 7 | इस समझौते से उत्पन्न या किसी भी तरह से इससे जुड़े सभी विवादों को कोच्ची में उत्पन्न माना जाएगा और केवल कोच्ची की अदालतों को ही उनका निर्धारण करने का अधिकार होगा। |
| 8 | इस अनुबंध के विभिन्न भागों को बोलीदाता द्वारा पढ़ लिया गया है तथा बोलीदाता द्वारा पूरी तरह से समझ लिया गया है। |
| 9 | <p>ठेकेदार/एजेंसी कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के निवारण, प्रतिषेध एवं निवारण अधिनियम 2013 के प्रावधानों के पूर्ण अनुपालन के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी। बैंक परिसर में अपने कर्मचारी के विरुद्ध यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत के मामले में, ठेकेदार/एजेंसी द्वारा गठित आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष शिकायत दर्ज की जाएगी तथा ठेकेदार/एजेंसी शिकायत के संबंध में उक्त अधिनियम के अंतर्गत उचित कार्रवाई सुनिश्चित करेगी।</p> <p>(क) ठेकेदार के किसी पीड़ित कर्मचारी द्वारा बैंक के किसी कर्मचारी के विरुद्ध यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत का संज्ञान बैंक द्वारा गठित क्षेत्रीय शिकायत समिति द्वारा लिया जाएगा।</p> <p>(ख) ठेकेदार किसी भी मौद्रिक मुआवजे के लिए जिम्मेदार होगा, जिसका भुगतान ठेकेदार के कर्मचारी से संबंधित घटना के मामले में किया जाना आवश्यक हो सकता है, उदाहरण के लिए बैंक के कर्मचारी को कोई मौद्रिक राहत, यदि ठेकेदार के कर्मचारी द्वारा यौन हिंसा साबित हो जाती है।</p> <p>(ग) ठेकेदार अपने कर्मचारियों को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम और संबंधित मुद्दों के बारे में शिक्षित करने के लिए जिम्मेदार होगा।</p> <p>(घ) ठेकेदार को बैंक परिसर में तैनात अपने कर्मचारियों की पूर्ण एवं अद्यतन सूची उपलब्ध करानी होगी।</p> |
| 10 | ठेकेदार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बैंक के बुनियादी ढांचे/प्रणालियों/उपकरणों आदि की कोई भी जानकारी, सामग्री और विवरण किसी तीसरे पक्ष को नहीं बताएगा, जो इस समझौते के संबंध में अपने संविदात्मक दायित्वों के निर्वहन के दौरान ठेकेदार के कब्जे या ज्ञान में आ सकते हैं और हर समय उन्हें सख्त गोपनीयता में रखेगा। ठेकेदार अनुबंध के विवरण को निजी और गोपनीय रखेगा, सिवाय इसके कि इसके तहत दायित्वों को पूरा करने या लागू कानूनों का पालन करने के लिए आवश्यक सीमा तक। ठेकेदार बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी भी व्यापार या तकनीकी पत्र या अन्यत्र कार्यों के किसी भी विवरण को प्रकाशित नहीं करेगा, प्रकाशित करने की अनुमति नहीं देगा या प्रकट नहीं करेगा। ठेकेदार किसी भी गोपनीय जानकारी के प्रकटीकरण के परिणामस्वरूप बैंक को हुए किसी भी नुकसान के लिए बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा। ठेकेदार अपने कर्मचारियों |

| | |
|-----------|---|
| | <p>के संबंध में सभी उचित कार्रवाई करेगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इस समझौते के तहत गोपनीय जानकारी के गैर-प्रकटीकरण के दायित्व पूरी तरह से पूरे हों। गैर-प्रकटीकरण और गोपनीयता के संबंध में ठेकेदार के दायित्व, किसी भी कारण से इस समझौते की समाप्ति या समाप्ति के बाद भी बने रहेंगे।</p> |
| 11 | <p>ठेकेदार को ठेका श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम 1970 और अधिनियम के तहत नियमों का अनुपालन करने के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई करनी होगी, जिसमें अधिनियम में नवीनतम संशोधन, विशेष रूप से उपयुक्त प्राधिकारी के साथ, लाइसेंस प्राप्त करना, रजिस्टर और रिकॉर्ड बनाए रखना, श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान, अधिनियम के तहत निर्धारित कल्याणकारी उपाय आदि शामिल हैं। यदि अधिनियम का कोई उल्लंघन होता है तो ठेकेदार उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा किसी भी दंड के लिए उत्तरदायी होगा।</p> |
| 12 | <p>ठेकेदार भारतीय रिजर्व बैंक को निम्नलिखित के विरुद्ध क्षतिपूर्ति करेगा और क्षतिपूर्ति करता रहेगा:</p> <p>i) कार्य के निष्पादन के दौरान/उसके कारण किसी तीसरे पक्ष को होने वाली जान या संपत्ति की हानि/क्षति से उत्पन्न कोई दावा।</p> <p>ii) कंपनी द्वारा नियोजित श्रमिकों को हुए नुकसान/क्षति से उत्पन्न कोई भी दावा कार्य के निष्पादन के दौरान ठेकेदार को सूचित किया जाएगा।</p> <p>श्रम कानूनों, ईएसआई के अनुपालन न करने के कारण कोई दावा , विनियम आदि</p> |
| 13 | <p>न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936, ठेका श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 आदि:</p> <p>ठेकेदार को अपने कर्मचारियों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत निर्धारित प्रचलित दर पर न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करना होगा। इस शर्त का उल्लंघन करने पर मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) अनुबंध समाप्त करने के लिए उत्तरदायी होंगे और तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, ठेकेदार को मौजूदा नियमों के अनुसार प्रति व्यक्ति ईएसआई और पीएफ का भुगतान हर महीने करना होगा और भुगतान किए गए नकद चालान की प्रतियां हर महीने बैंक में जमा करनी होंगी।</p> <p>ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना होगा कि वेतन भुगतान में देरी के संबंध में कर्मचारियों की ओर से किसी भी प्रकार की शिकायत की कोई गुंजाइश न हो। ठेकेदार द्वारा नियोजित कर्मचारी केवल ठेकेदार के अधीन कार्यरत होंगे, न कि भारतीय रिजर्व बैंक के अधीन। ठेकेदार को कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध उपबंध अधिनियम, 1952 तथा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के अनुसार भविष्य निधि एवं कर्मचारी राज्य बीमा निधि में नियोक्ता के अंशदान का भुगतान करना होगा।</p> <p>किसी भी परिस्थिति में ठेकेदार और उसके कर्मचारी/कर्मचारियों के बीच विवाद के कारण उत्पन्न होने वाले किसी भी दंड या दावे के लिए ठेकेदार पूरी तरह उत्तरदायी होगा। यदि ठेकेदार और उसके कर्मचारी/कर्मचारियों के बीच विवाद के कारण बैंक पर कोई दावा या दंड कानूनी रूप से बाध्यकारी है, तो उसकी वसूली ठेकेदार से की जाएगी।</p> |

| | |
|-------------------------------------|--|
| यदि बोलीदाता साझेदारी या व्यक्ति है | इसके साक्ष्य स्वरूप नियोजक और बोलीदाता ने इन उपहारों और इनकी दो प्रतियों पर अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं, जो पहले दिन और वर्ष के रूप में ऊपर लिखे गए हैं। |
| यदि बोलीदाता एक कंपनी है | इसके साक्ष्य स्वरूप नियोजक ने अपने विधिवत् प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से इन प्रस्तुतियों पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और बोलीदाता ने इस पर अपनी सामान्य मुहर लगवा ली है तथा इसकी दो प्रतियां अपनी ओर से ऊपर लिखे गए दिन और वर्ष में निष्पादित करवा ली हैं। |

| | |
|--|--|
| हस्ताक्षर खंड: | |
| के हाथ से हस्ताक्षरित और वितरित श्री _____ की उपस्थिति में (1) _____ (नाम और पता) (2) _____ (नाम और पता) गवाह | |
| द्वारा हस्ताक्षरित और वितरित श्री _____ की उपस्थिति में (1) _____ (नाम और पता) (2) _____ (नाम और पता) गवाह | यदि पक्षकार साझेदारी फर्म या व्यक्ति है |
| _____ की सामान्य मुहर इसके निदेशक मंडल द्वारा _____ की बैठक में पारित प्रस्तावों के अनुसरण में लगाई गई, जिसमें निम्नलिखित की उपस्थिति थी - (1) _____ (2) _____ निदेशकगण, जिन्होंने निम्नलिखित की उपस्थिति में इन प्रस्तुतियों पर हस्ताक्षर किए हैं - (1) _____ (2) _____ | यदि बोलीदाता सामान्य मुहर के तहत हस्ताक्षर करता है तो हस्ताक्षर की उपस्थिति - खंड एसोसिएशन के लेखों में सीलिंग खंड के साथ मेल खाना चाहिए |

| | |
|--|--|
| बोलीदाता द्वारा श्री _____ तथा विधिवत् गठित अटॉर्नी के हस्ताक्षर से वितरित। | यदि अनुबंध पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से हस्ताक्षरित है, चाहे वह कंपनी हो या व्यक्ति |
|--|--|

अनुलग्नक ए

अपेक्षित हार्डवेयर के स्वामित्व के संबंध में वचनबद्धता

(बोलीदाता के लेटरहेड पर)

तारीख: _____

महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी)
संपदा विभाग,
भारतीय रिजर्व बैंक,
कोच्ची - 18

प्रिय महोदय,

हम एतद्वारा पुष्टि करते हैं कि हमारे संगठन के पास FAMS कार्य के अंतर्गत उल्लिखित सेवाओं के सफल निष्पादन के लिए सभी आवश्यक हार्डवेयर उपलब्ध हैं। हम अनुबंध अवधि के दौरान संपत्ति टैगिंग के लिए आवश्यक प्रकार और संख्या में आरएफआईडी टैग भी उपलब्ध करा सकेंगे।

कृपया आवश्यक हार्डवेयर का विवरण नीचे देखें –

| | गिनती करना | बनाना | नमूना | स्वामित्व (हाँ/नहीं) |
|---------------------|---------------|-------|-------|-------------------------|
| आरएफआईडी रीडर | | | | |
| आरएफआईडी प्रिंटर | | | | |

हम आपको आश्वासित करते हैं कि किसी भी हार्डवेयर संबंधी समस्या के कारण FAMS का कार्य प्रभावित नहीं होगा।

आपका विश्वासी,

(अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

नाम एवं पदनाम:

अनुलग्नक बी
आरएफ़आईडी टैग के लिए एन्कोडिंग प्रथाओं की पुष्टि
(बोलीदाता के लेटरहेड पर)

तारीख: _____

महाप्रबंधक (ओ- आई -सी)
संपदा विभाग,
भारतीय रिजर्व बैंक,
कोच्ची - 18

प्रिय महोदय,

खंड 3.7.5 में उल्लिखित विशेष शर्तों के अनुपालन की पुष्टि करते हैं। हमने आरएफ़आईडी टैग्स को इस प्रकार कॉन्फ़िगर किया है कि बाज़ार में उपलब्ध कोई भी रीडर/स्कैनर इन आरएफ़आईडी टैग्स में सभी एन्कोडेड विवरणों का पता लगा सकेगा। हम भविष्य में आरएफ़आईडी टैग्स के अतिरिक्त/प्रतिस्थापन संबंधी आवश्यकताओं के लिए भी यही सुनिश्चित करेंगे।

भवदीय,

(अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

नाम एवं पदनाम:

अनुलग्नक सी

अचल संपत्तियों का प्रकार

| क्र | परिसंपत्ति का प्रकार/ विवरण |
|-----|---|
| 1. | विद्युत/इलेक्ट्रॉनिक संपत्तियां |
| | मापने वाले भार |
| | फ्रैंकिंग मशीन |
| | नोट गिनने की मशीन, नोट छांटने की मशीन, सिक्का निकालने की मशीन |
| | सुरक्षा उपकरण, मेटल डिटेक्टर, वॉकी-टॉकी सेट |
| | विद्युत उपकरण - सभी प्रकार के पंखे, पानी के डिस्पेंसर, फोटो कॉपी मशीन, चाय/कॉफी वेंडिंग मशीन, टीवी, चूहा भगाने वाली मशीन, ट्रेडमिल, व्यायाम साइकिल, फ्रिज, एसी, इन्वर्टर, डिशवाॅशर, एयर प्यूरीफायर, डस्ट कैचर |
| | इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण - कंप्यूटर, (मॉनीटर, सीपीयू, कीबोर्ड और माउस एक साथ एक के रूप में) एमआईसीआर कोडर, ऑप्टिकल तुलनित्र, प्रिंटर, मॉडेम, सर्वर, प्रोजेक्टर, सर्वर, हार्ड डिस्क |
| | दूरसंचार उपकरण- ईपीबीएक्स, फैक्स, पुश बटन, सम्मेलन प्रणाली, माइक्रोफोन, |
| | लैपटॉप |
| | कार्टरों के लिए चलने योग्य कोई भी विद्युतीय सामान |
| | विद्युत उपकरण और कार्यालय उपकरण स्थिर कार्यालय |
| | विद्युत उपकरण और कार्यालय उपकरण स्थायी निवास |
| | विद्युत उपकरण- सीवीपीएस |
| | विद्युत उपकरण सुरक्षा |
| 2. | गैर-इलेक्ट्रॉनिक धातु (स्टील) |
| | कप बोर्ड, अलमारी, बुककेस |
| | दराज, भंडारण इकाइयाँ |
| | तिजोरी |
| | ट्रकों और ट्रॉलियों को ऊपर उठाना |
| | मोटर वाहन |
| | कॉम्पैक्टर |
| | मिश्रित |
| 3 | गैर-इलेक्ट्रॉनिक गैर-धात्विक (लकड़ी) |
| | टेबल (सभी प्रकार) |
| | कुर्सियाँ (सभी प्रकार) |

| | |
|--|---------------------------------|
| | सोफा सेट |
| | साइड यूनिट, जूता रैक, स्टील रैक |
| | निवास के लिए कोई भी फर्नीचर |
| | मिश्रित |

नोट: उपरोक्त वस्तुओं की सूची केवल सांकेतिक है। विक्रेता को तिमाही/अर्ध-वार्षिक गतिविधियाँ शुरू करने से पहले बैंक द्वारा उपलब्ध कराई गई परिसंपत्तियों की सूची के अनुसार वस्तुओं को टैग और मिलान करना होगा।

अनुलग्नक डी

कार्यक्षेत्र में सेवाओं के लिए जिम्मेदारियाँ और वितरण

1. नए आरएफआईडी टैग की आपूर्ति और स्थापना/आरएफआईडी टैग का प्रतिस्थापन (अर्ध-वार्षिक गतिविधि):

यह प्रक्रिया प्रत्येक छमाही के अंत में निम्नलिखित के लिए की जानी है -

- नई/स्थानांतरित परिसंपत्तियों के लिए आरएफआईडी टैग जोड़ें।
- क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में आरएफआईडी टैग बदलवाएं।

विक्रेता टीमों से अपेक्षा की जाती है कि वे अर्ध-वार्षिक आधार पर बैंक के कार्यालय और आवासीय स्थानों का दौरा करें और अर्ध-वार्षिक समाप्ति के बाद अगले महीने की 10 तारीख से पहले इस गतिविधि को पूरा करने की दिशा में काम करें।

विक्रेता साझेदार की जिम्मेदारियों का विवरण नीचे उप-अनुभागों में दिया गया है -

1.1 आरएफआईडी टैग जोड़ना:

- बैंक से परिसंपत्ति सूची प्राप्त करें, जिसमें पिछले छमाही के दौरान जोड़ी गई नई परिसंपत्तियों और एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित की गई परिसंपत्तियों तथा पिछले छमाही के दौरान सिस्टम में स्वीकृत/अद्यतन की गई परिसंपत्तियों की जानकारी हो।
- इन सूचियों में आवश्यक डेटा फ़ील्ड जैसे आंतरिक इन्वेंट्री संख्या, इन्वेंट्री संख्या, शाखा, विभाग, अनुभाग, संपत्ति विवरण, संपत्ति प्रकार आदि शामिल होने चाहिए। ये सूचियाँ विक्रेता के आने से कम से कम 3 दिन पहले उपलब्ध कराई जाएँगी ताकि विक्रेता आवश्यक नए आरएफआईडी टैग की संख्या का अनुमान लगा सके। टैगिंग के उद्देश्य से कार्यालय आने से पहले विक्रेता को टैग पर कॉन्फ़िगरेशन और प्रिंटिंग सुनिश्चित करनी होगी।
- उस विशेष परिसंपत्ति के लिए पहचाने गए आरएफआईडी टैग में प्रत्येक परिसंपत्ति के लिए आंतरिक इन्वेंट्री संख्या डेटा फ़ील्ड को एनकोड करें।
- प्रत्येक परिसंपत्ति के लिए आंतरिक इन्वेंट्री संख्या और इन्वेंट्री संख्या डेटा फ़ील्ड को संबंधित आरएफआईडी टैग पर प्रिंट करें।
- इसके अलावा, प्रत्येक परिसंपत्ति के लिए संबंधित आरएफआईडी टैग पर आंतरिक इन्वेंट्री संख्या हेतु बारकोड भी प्रिंट करें।
- आरएफआईडी टैग्स का विन्यास इस प्रकार किया जाएगा कि बाज़ार में उपलब्ध कोई भी रीडर/स्कैनर इन आरएफआईडी टैग्स के एनकोडेड विवरण का पता लगा सके। विक्रेता द्वारा इसके अनुपालन की पुष्टि प्रस्तुत की जाएगी।

- रीडर्स/स्कैनर्स स्कैन किए गए डेटा को टेक्स्ट फॉर्मेट में संग्रहित करेंगे तथा उसे एक्सेल/सीएसवी में निर्यात करेंगे, जिसमें डेटा प्रकार का मान 'सामान्य' होगा, न कि 'टेक्स्ट'।
- इन आरएफआईडी टैग्स को संबंधित संपत्तियों पर चिपकाएँ। आरएफआईडी टैग्स लगाते समय संपत्ति के स्थान, स्थिति और सतह को ध्यान में रखें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आरएफआईडी रीडर मिलान के दौरान बिना किसी समस्या के इन टैग्स को स्कैन कर सकें।
- हस्तांतरित संपत्तियों के मामले में, सुनिश्चित करें कि ऐसी प्रत्येक संपत्ति वास्तव में उस विभाग में भौतिक रूप से स्थित है जहाँ स्थानांतरण का उल्लेख किया गया है। यदि नहीं, तो बैंक की ओर से समन्वयक को इसकी सूचना दें और स्थानांतरण करवाएँ। फिर हस्तांतरित संपत्ति पर लगे पुराने आरएफआईडी टैग को हटाकर ऊपर बताई गई प्रक्रिया के अनुसार नया आरएफआईडी टैग लगाएँ। कृपया ध्यान दें कि पुराने टैग को हटाना आवश्यक है क्योंकि उस पर पुराना इन्वेंटरी नंबर छपा होता है जो स्थानांतरण के बाद बदल जाता है। इसलिए नए टैग पर नया इन्वेंटरी नंबर छपना सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए।
- सभी नई/हस्तांतरित संपत्तियों पर आरएफआईडी टैग लगाने के बाद, बैंक द्वारा प्रदान किए गए साइन-ऑफ फॉर्म में आवश्यक जानकारी भरें और बैंक की ओर से समन्वयक के हस्ताक्षर लें, जिसमें दी गई गतिविधि के पूरा होने का संकेत हो। आसान संदर्भ के लिए इस साइन-ऑफ फॉर्म के साथ संपत्ति सूची का प्रिंटआउट संलग्न करें।
- उपरोक्त दस्तावेजों को बैंक में जमा करें।
- कृपया सुनिश्चित करें कि आप सभी विभागों के लिए नई/स्थानांतरित परिसंपत्तियों की टैगिंग पूरी कर लें।

1.2 आरएफआईडी टैग का प्रतिस्थापन:

- बैंक से उन संपत्तियों की सूची प्राप्त करें जिनमें पिछली छमाही (यदि कोई हो) के दौरान क्षतिग्रस्त आरएफआईडी टैग वाली संपत्तियों की जानकारी हो। इन सूचियों में आंतरिक इन्वेंट्री संख्या, इन्वेंट्री संख्या, शाखा, विभाग, अनुभाग, संपत्ति विवरण, संपत्ति प्रकार आदि जैसे आवश्यक डेटा फ़ील्ड होने चाहिए। ये सूचियाँ विक्रेता के आने से कम से कम 3 दिन पहले उपलब्ध कराई जाएँगी ताकि विक्रेता आवश्यक प्रतिस्थापनों की संख्या का अनुमान लगा सके।
- उपरोक्त परिसंपत्ति सूचियों के अतिरिक्त, विक्रेता से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वह मिलान प्रक्रिया के दौरान क्षतिग्रस्त टैगों की पहचान करे और उन्हें बदल दे। ऐसी गतिविधियों के लिए बैंक परिसर में आने पर कुछ अतिरिक्त टैग प्राप्त करने का सुझाव दिया जाता है। यदि आरएफआईडी टैग सामान्य टूट-फूट या बैंक की ओर से किसी गतिविधि के कारण क्षतिग्रस्त होता है, तो टैग की लागत वापस कर दी जाएगी। यदि सेंसर की समस्या के कारण टैग काम नहीं कर रहा है, तो विक्रेता को अनुबंध अवधि के दौरान बैंक को बिना किसी अतिरिक्त लागत के टैग बदल देना चाहिए।
- यदि किसी भी रिपोर्ट की गई संपत्ति पर लगे आरएफआईडी टैग क्षतिग्रस्त नहीं हुए हैं, तो बैंक की ओर से समन्वयक को इसकी सूचना दें तथा किसी भी आशंका/आपत्तियों पर जवाब दें।

- रिपोर्ट की गई परिसंपत्तियों पर लगे आरएफआईडी टैगों के लिए, जिनके क्षतिग्रस्त होने की पुष्टि हो चुकी है, उस विशेष परिसंपत्ति के लिए आवंटित नए आरएफआईडी टैग में प्रत्येक ऐसी परिसंपत्ति के लिए आंतरिक इन्वेंट्री संख्या डेटा फ़ील्ड को एनकोड करें।
प्रत्येक ऐसी परिसंपत्ति के लिए आंतरिक इन्वेंट्री संख्या और इन्वेंट्री संख्या डेटा फ़ील्ड को संबंधित आरएफआईडी टैग पर प्रिंट करें।
इसके अलावा, प्रत्येक ऐसी परिसंपत्ति के लिए संबंधित आरएफआईडी टैग पर आंतरिक इन्वेंट्री संख्या हेतु बारकोड भी प्रिंट करें।
- इन आरएफआईडी टैग्स को संबंधित संपत्तियों पर चिपकाएँ। आरएफआईडी टैग्स लगाते समय संपत्ति के स्थान, स्थिति और सतह को ध्यान में रखें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आरएफआईडी रीडर मिलान के दौरान बिना किसी समस्या के इन टैग्स को स्कैन कर सकें।
- ऐसी सभी संपत्तियों पर आरएफआईडी टैग लगाने के बाद, बैंक द्वारा उपलब्ध कराए गए साइन-ऑफ़ फॉर्म में आवश्यक जानकारी भरें और बैंक की ओर से समन्वयक के हस्ताक्षर लें, जिसमें दी गई गतिविधि के पूरा होने का संकेत हो। आसान संदर्भ के लिए इस साइन-ऑफ़ फॉर्म के साथ संपत्ति सूची का प्रिंटआउट संलग्न करें।
- उपरोक्त दस्तावेजों को बैंक में जमा करें।
- प्रत्येक विभाग के लिए उपरोक्त गतिविधियों को दोहराएं।

1.3 डिलिवरेबल्स:

- नये/प्रतिस्थापित आरएफआईडी टैग के प्रकार और संख्या पर रिपोर्ट।
- बैंक की टीम के साथ गवर्नेंस बैठक का विवरण।

2. टैग की गई परिसंपत्तियों का नवीनतम परिसंपत्ति मास्टर सूची के साथ मिलान (अर्ध-वार्षिक गतिविधि):

समाधान गतिविधि से पहले, विक्रेता को ऊपर दिए गए उप-अनुभागों में उल्लिखित गतिविधियाँ पूरी करनी होंगी, अर्थात् पिछली छमाही के लिए आरएफआईडी टैग जोड़ना/बदलना। इन अर्ध-वार्षिक गतिविधियों के पूरा होने के बाद, समाधान गतिविधि शुरू की जानी चाहिए।

सुलह की गतिविधि हर छह महीने में यानी साल में दो बार की जानी है। 30 जून तक की संपत्तियों के लिए यह जुलाई के अंत तक पूरी हो जानी चाहिए। इसी तरह, 31 दिसंबर तक की संपत्तियों के लिए यह जनवरी के अंत तक पूरी हो जानी चाहिए।

किसी विशेष कार्यालय स्थान पर सभी अचल संपत्तियों का डेटा आरएफआईडी रीडर के माध्यम से प्राप्त किया जाना चाहिए और एक्सेल में निर्यात किया जाना चाहिए। इसके बाद, बैंक द्वारा साझा की गई नवीनतम संपत्ति मास्टर सूचियों के साथ विस्तृत मिलान किया जाना चाहिए। विक्रेता भागीदार की ज़िम्मेदारियाँ नीचे दिए गए उप-अनुभागों में विस्तृत रूप से वर्णित हैं -

2.1 अचल संपत्तियों की स्कैनिंग:

- विवरण , परिसंपत्ति प्रकार आदि जैसे आवश्यक डेटा फ़ील्ड के साथ बैंक से सभी विभागों के लिए नवीनतम परिसंपत्ति मास्टर सूची प्राप्त करें।
- प्रत्येक विभाग के लिए परिसंपत्ति मास्टर सूची का आकलन करें और प्रत्येक विभाग के लिए अचल परिसंपत्तियों की स्कैनिंग के लिए आवश्यक समय का अनुमान लगाएं।

- बैंक की ओर से समन्वयकों के साथ बैठक की व्यवस्था करें और संयुक्त रूप से प्रत्येक विभाग के लिए अचल संपत्तियों की स्कैनिंग के लिए समय स्लॉट को अंतिम रूप दें।
- आरएफआईडी रीडर की मदद से आवंटित समयावधि के दौरान सभी विभागों की अचल संपत्तियों को स्कैन करें। किसी भी विभाग के किसी भी क्षेत्र/केबिन/कमरे तक पहुँचने में समस्या होने पर बैंक के समन्वयकों से सहायता लें।

2.2 नवीनतम परिसंपत्ति मास्टर सूची के साथ स्कैन किए गए डेटा का मिलान:

- सभी विभागों के लिए स्कैन किए गए डेटा को निकालें और उसे एक्सेल शीट प्रारूप में बैंक द्वारा आवंटित वर्कस्टेशन पर स्थानांतरित करें।
- सभी विभागों के लिए स्कैन किए गए डेटा को बैंक द्वारा इन सभी विभागों के लिए उपलब्ध कराई गई नवीनतम परिसंपत्ति मास्टर सूची के साथ मिलान करें।
- विसंगतियों का पता लगाने के लिए आंतरिक इन्वेंट्री संख्या डेटा फ़ील्ड का मिलान करने हेतु एक्सेल में VLOOKUP फ़ंक्शन का उपयोग करना उचित है। यह अनुशंसा की जाती है कि सभी विभागों की परिसंपत्ति मास्टर सूचियों से समेकित डेटा का मिलान सभी विभागों के समेकित स्कैन किए गए डेटा के साथ एक ही बार में किया जाए।
- एक्सेल में VLOOKUP फ़ंक्शन का उपयोग करके समाधान का विस्तृत विवरण इस अनुलग्नक के अंत में एम्बेडेड एक्सेल फ़ाइल में दिया गया है।

2.3 समाधान के दौरान पाई गई विसंगतियों की रिपोर्टिंग :

विक्रेता को बैंक की ओर से समन्वयकों के साथ मिलकर यह अभ्यास करना चाहिए। इसका उद्देश्य पाई गई विसंगतियों का विश्लेषण करना और विसंगतियों के कारणों का पता लगाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करना है। इस क्रॉस-सत्यापन के बाद, विसंगतियों की सूचना दी जा सकती है।

इस विश्लेषण और उसके बाद के क्रॉस सत्यापन के लिए कुछ संकेत नीचे दिए गए हैं -

- **परिदृश्य 1: परिसंपत्ति मास्टर सूची में परिसंपत्तियां मौजूद हैं, लेकिन स्कैन किए गए डेटा में कैप्चर नहीं की गई हैं (आंतरिक इन्वेंट्री संख्या के लिए स्कैन किए गए डेटा का बेमेल होना)**
 - ❖ बैंक की ओर से समन्वयकों की सहायता से ऐसी सभी परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन करें।
 - ❖ जाँच करें कि क्या इनमें से किसी भी संपत्ति पर पहले टैग तो नहीं लगाया गया है। यह भी जाँचें कि क्या इनमें से किसी संपत्ति पर क्षतिग्रस्त आरएफआईडी टैग तो नहीं लगे हैं।
 - ❖ जांच करें कि क्या इनमें से कोई भी परिसंपत्ति अन्य कार्यालय स्थान पर स्थानांतरित की गई है, लेकिन सीबीएस/एक्सेल में स्वीकार/अद्यतन नहीं की गई है।
 - ❖ जाँच करें कि क्या आरएफआईडी रीडर्स में किसी समस्या के कारण स्कैनिंग गतिविधि के दौरान इनमें से किसी भी संपत्ति का डेटा कैप्चर नहीं हुआ। कृपया रिपोर्टिंग के लिए इस गणना को नोट करें।
यदि हाँ, तो ऐसी संपत्तियों को पुनः स्कैन करें और आरएफआईडी रीडर से प्राप्त एक्सेल डेटा में संबंधित रिकॉर्ड शामिल करें। मिलान के दौरान देखी गई संबंधित विसंगतियों को ठीक करें।
 - ❖ यदि इनमें से किसी भी संपत्ति के खो जाने की सूचना मिली है तो बैंक की टीम से संपर्क करें।
 - ❖ विश्लेषण करें -

- विभाग में मौजूद नहीं संपत्तियां
 - बिना आरएफआईडी टैग वाली संपत्तियाँ
 - क्षतिग्रस्त आरएफआईडी टैग वाली संपत्तियाँ
 - सीबीएस/एक्सेल में स्वीकृति/अद्यतन के बिना अन्य कार्यालय स्थान पर स्थानांतरित की गई संपत्तियां
 - खोई हुई संपत्तियाँ
 - प्रथम स्कैन के दौरान कैप्चर नहीं की गई संपत्तियां
- **परिदृश्य 2: परिसंपत्तियाँ स्कैन किए गए डेटा में मौजूद हैं, लेकिन परिसंपत्ति मास्टर सूची में नहीं हैं (आंतरिक इन्वेंट्री संख्या के लिए परिसंपत्ति मास्टर डेटा बेमेल है)**
 - ❖ जाँच करें कि क्या इनमें से कोई परिसंपत्ति सिस्टम में मौजूद है, लेकिन अन्य कार्यालय स्थान के लिए चिह्नित है, अर्थात क्या इनमें से किसी भी परिसंपत्ति के लिए स्थानांतरण अन्य कार्यालय स्थान द्वारा सीबीएस/एक्सेल में स्वीकार/अद्यतन किया गया है, लेकिन भौतिक स्थानांतरण अभी तक नहीं हुआ है।
 - ❖ जांच करें कि क्या इनमें से किसी भी परिसंपत्ति को निपटान के लिए बट्टे खाते में डाल दिया गया है/चिह्नित किया गया है और बाद में सीबीएस/एक्सेल डेटा से हटा दिया गया है, लेकिन क्या वह अभी भी कार्यालय में भौतिक रूप से मौजूद है।
 - ❖ विश्लेषण करें -
 - अन्य कार्यालय स्थान द्वारा सीबीएस/एक्सेल में स्थानांतरण के लिए स्वीकृत/अद्यतन की गई परिसंपत्तियां, लेकिन भौतिक रूप से अभी भी पुराने कार्यालय स्थान पर मौजूद हैं
 - सीबीएस/एक्सेल में निपटान के लिए बट्टे खाते में डाली गई/चिह्नित परिसंपत्तियां, लेकिन कार्यालय में अभी भी भौतिक रूप से मौजूद हैं

2.4 डिलिवरेबल्स:

- नये/प्रतिस्थापित आरएफआईडी टैग के प्रकार और संख्या पर रिपोर्ट।
- किसी विशेष स्थान पर स्थित आरबीआई कार्यालय परिसर के लिए परिसंपत्ति डेटा की स्कैनिंग के आधार पर समाधान रिपोर्ट और प्रमाणपत्र।
- बैंक की टीम के साथ गवर्नेंस बैठक का विवरण।

3. स्क्रीनशॉट के साथ सुलह प्रक्रिया का उदाहरण:

कृपया नीचे दिए गए एक्सेल को देखें –



[FAMS_सुलह प्रक्रिया_उदाहरण.xlsx](#)

अनुलग्नक 'ई'
शिकायत वृद्धि मैट्रिक्स

| क्रम सं. | समर्थन स्तर | नाम | फोन नंबर | ईमेल आईडी |
|----------|-------------|-----|----------|-----------|
| 1. | स्तर 1 | | | |
| 2. | स्तर 2 | | | |
| 3. | स्तर 3 | | | |

बोलीदाता के हस्ताक्षर और मुहर

अनुलग्नक 'एफ'

कोच्ची कार्यालय द्वारा प्रबंधित संपत्तियों का विवरण

| क्र | संपत्ति |
|-----|--|
| 1. | कार्यालय भवन, भारतीय रिज़र्व बैंक, बनर्जी रोड, एर्नाकुलम उत्तर, कोच्ची – 682 018 |
| 2. | ऑफिसर्स क्वार्टर, भारतीय रिज़र्व बैंक, बनर्जी रोड, एर्नाकुलम उत्तर, कोच्ची – 682 018 |
| 3. | स्टाफ क्वार्टर, भारतीय रिज़र्व बैंक, जजेज एवेन्यू रोड, कलूर। |

स्थान: विक्रेता की मुहर और हस्ताक्षर

तारीख:

अनुलग्नक 'जी'
ईएमडी राशि वापस करने के लिए बोलीदाता के बैंक खाते का विवरण

| विवरण | |
|------------------|--|
| बैंक का नाम | |
| खाता धारक का नाम | |
| आईएफएससी कोड | |
| खाता प्रकार | |
| खाता संख्या | |

बोली लगाने वाले के हस्ताक्षर और मुहर



भारतीय रिज़र्व बैंक / Reserve Bank of India
संपदा विभाग / Estate Department
कोच्ची / KOCHI

निविदा

कोच्ची स्थित भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यालय और उसके आवासीय परिसर में स्थापित विभिन्न इन्वेंट्री मदों के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (आरएफआईडी) आधारित स्थिर परिसंपत्ति प्रबंधन समाधान (एफएएमएस) हेतु वार्षिक रखरखाव अनुबंध

भाग II – मूल्य बोली

बोलीदाता का नाम:

पता:

कोच्ची स्थित भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यालय और उसके आवासीय परिसर में स्थापित विभिन्न इन्वेंट्री मदों के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (आरएफआईडी) आधारित स्थिर परिसंपत्ति प्रबंधन समाधान (एफएएमएस) हेतु वार्षिक रखरखाव अनुबंध

भाग II

| भाग ए: निम्नलिखित आरएफआईडी टैग की आपूर्ति | | | | | |
|---|---|--------------------------|--------------------------|------------------------|--|
| क्र | विवरण | मात्रा (लगभग) | दर प्रति टैग | जीएसटी राशि | कुल मात्रा (इसमें शामिल हैं जीएसटी) |
| 1. | आरएफआईडी टैग के लिए इलेक्ट्रॉनिक आइटम | 135 | | | |
| 2. | आरएफआईडी टैग इलेक्ट्रॉनिक धातु की वस्तुएँ | 60 | | | |
| 3. | गैर-इलेक्ट्रॉनिक गैर-धात्विक | 65 | | | |
| उप-योग (ए) | | | | | |
| भाग बी - आरएफआईडी टैग का अर्ध-वार्षिक जोड़/प्रतिस्थापन और अर्ध-वार्षिक समाधान सेवाएं | | | | | |
| क्र | विवरण | मात्रा | प्रति सेवा दर | जीएसटी @18% | कुल मात्रा (इसमें शामिल हैं जीएसटी) |
| 1 | अर्धवार्षिक जोड़ के लिए शुल्क/ आरएफआईडी टैग का प्रतिस्थापन और अर्ध-वार्षिक सुलह सेवाएँ | प्रति वर्ष 02 सेवाएँ | | | |
| उप-योग (बी) | | | | | |
| कुल योग (ए+ बी) | | | | | |

रुपए-----

नोट : उपरोक्त तालिका के भाग 'क' में दर्शाई गई आरएफआईडी टैग की मात्रा पिछले वर्ष के उपयोग पर आधारित है। वास्तविक मात्रा बैंक की आवश्यकता के अनुसार भिन्न हो सकती है।

स्थान: विक्रेता की मुहर और हस्ताक्षर

तारीख: